न्यायालय उपजिलाधिकारी सिराथू, कौशाम्बी

वाद सं० 62 वर्ष 2009 धारा 143 ज0 वि0 अधिनियम

मौजा भीतर, परगना करा, तहसील सिराथू, जनपद कौशाम्बी।

रामा देवी शिवमंगल प्रसाद महाविद्यालय भीतर अझुवा कौशाम्बी

प्रबन्धक शीतला प्रसाद त्रिपाठी पुत्र स्व0 शिवमंगल प्रसाद

बनाम

गांव सभा भीतर

निर्णय दि० 30-10-09

प्रस्तुत वाद शीतला प्रसाद त्रिपाठी प्रबंधक रमा देवी शिवमंगल प्रसाद महाविद्यालय भीतर अझुवा कौशाम्बी ने इस अभिकथन के साथ योजित किया है कि आराजी सं0 525 क्षेत्रफल 0.263हे0, 524 क्षेत्रफल 0.272हे0 कुल 2 गाटा क्षेत्रफल 0.536हे0 रमा देवी शिव मंगल प्रसाद महाविद्यालय भीतर अजुहा कौशाम्बी का नाम अंकित है। जिस पर उक्त विद्यालय का भवन निर्मित है। इसलिये प्रश्नगत भूमि को महाविद्यालय भवन होने के आधार पर अकृषक/व्यवसायिक दर्ज किये जाने की याचना किया है।

पत्रावली तहसीलदार सिराथू को जांच आख्या प्रेषित की गयी तहसीलदार की जांच आख्या दिनांक 25-08-2009 सहित पत्रावली प्राप्त होने के उपरान्त वाद पंजीकृत किया गया तथा गांव सभा को नियमानुसार नोटिस निर्गत की गयी जो तामीला संलग्न पत्रावली है।

मैने वादी के अधिवक्ता व ग्राम सभा अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर क्षेत्रीय लेखपाल राजस्व निरीक्षक व नायब तहसीलदार की आराजी सं0 525 क्षेत्रफल 0.263हे0, 524 क्षेत्रफल 0.272हे0 कुल 2 गाटा क्षेत्रफल 0.536हे0 श्रीमती रमा देवी शिव मंगल प्रसाद महाविद्यालय भीतर अजुहा कौशाम्बी के नाम अंकित है। आराजी सं0 524 व 525 पर रमा देवी शिव मंगल प्रसाद भीतर अजुहा का भवन निर्मित है।

[illegible] वादी के [illegible] अभिलेख [illegible] की सूची तथा पत्रावली पर [illegible]

[illegible] खतौनी 1416 [illegible] 1421 फसली ग्राम [illegible] लेखपाल की आख्या दिनांक [illegible] 20.01.11, धारा 143 नियम 135 के 20.01.11 [illegible] की आख्या दिनांक [illegible] सकल खसरा 1417 फसली दिनांक 20.01.11 [illegible] प्रपत्र [illegible] आख्या [illegible] दिनांक 21.01.11 [illegible] दिनांक 20.01.11 [illegible] दिनांक 21.01.11 [illegible] [illegible] अवलोकन किया जिससे [illegible] है कि ग्राम [illegible] परगना [illegible] तहसील सिराथू, जनपद कौशाम्बी की खतौनी 1416 [illegible] 1421 फसली की खाता संख्या 208 की आराजी संख्या 508 क्षेत्रफल [illegible], 510 मि0 क्षेत्रफल 0.608, 520 क्षेत्रफल 0.228, 511 क्षेत्रफल [illegible] [illegible] क्षेत्रफल [illegible] [illegible] शिवमंगल प्रसाद [illegible] कौशाम्बी [illegible] [illegible] शिवमंगल प्रसाद [illegible] कौशाम्बी 20X30 [illegible] 28 [illegible] [illegible] सिराथू की आख्या दिनांक 21.01.11 [illegible] ग्राम [illegible] परगना [illegible] तहसील सिराथू, जनपद कौशाम्बी की आराजी संख्या 508 क्षेत्रफल 0.468, 510 मि0 क्षेत्रफल 0.608, 520 क्षेत्रफल 0.228, 511 क्षेत्रफल [illegible] क्षेत्रफल [illegible] कुल 5 [illegible] क्षेत्रफल [illegible] [illegible] आबादी/अकृषिक घोषित किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम [illegible] परगना [illegible] तहसील सिराथू, जनपद कौशाम्बी की खतौनी [illegible] 1421 फसली के खाता संख्या 208 की आराजी संख्या 508 क्षेत्रफल 0.468, 510 मि0 क्षेत्रफल 0.608, 520 क्षेत्रफल 0.228, 511 क्षेत्रफल [illegible] [illegible] क्षेत्रफल [illegible] कुल 5 [illegible] क्षेत्रफल [illegible] भू [illegible] शिवमंगल प्रसाद [illegible] कौशाम्बी अकृषिक/[illegible] घोषित किया जाता है। [illegible] आदेश की प्रति [illegible] सिराथू को प्रेषित [illegible]

[illegible] बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली [illegible]

दिनांक : 29.1.2011

उपजिलाधिकारी
सिराथू कौशाम्बी
29/1/2011

31-01-2011
01-02-2011
01-02-2011
01-02-2011